वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

विधिक सहायता में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की भूमिका

माधव शरण पाठक
सहायक प्राध्यापक
विधि विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (म.प्र.)

विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और न्याय के अवसर सभी को समान रूप से मिले साथ ही केवल गरीबी व पिछड़ेपन के कारण कोई न्याय प्राप्त करना से वंचित न रह जाए के लिए हमारे भारतीय संविधान के 42वे संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39a मे निःशुल्क विधिक सहायता का लक्ष्य राज्य के लिए परिलक्षित किया गया और जिसके अंतर्गत "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

सभी के अधिकार संरक्षित व सुरक्षित रहे सभी को सस्ता सरल व सुगम न्याय प्राप्त हो व विचाराधीन मामला शीघ्र निराकृत हो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो के लिए न्यायपालिका द्वारा समय समय पर विधिक सहायता शिविर एवं लोक अदालतो का आयोजन किया जाता है। न्याय को आम आदमी के लिए आसान बनाने का श्रेय पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती को जाता है. साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस भगवती ने हुसैनारा खातून मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान में सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है. गरीबी या अशिक्षा के कारण किसी को किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। एच हास्काट मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक सहायता के संबंध महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

न्याय मे देरी न्याय की हत्या जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 व लोक अदालत जैसे साधन न्याय प्राप्त करने मे काफी कारगर सिद्ध हो रहे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन सस्ता सुलभ न्याय जनता को प्रदाय करने के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 एवं 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं कार्य के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(1) राज्य सरकार, के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक निकाय का गठन करते हैं जिसे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कहा जाता है राज्य के प्रत्येक जिले को प्रदत्त या सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए, इस अधिनियम के तहत जिला प्राधिकरण।

1. एक जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

(ए) जिला न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष होगा; और

(बी) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यता हो, जितनी हो सके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, उस सरकार के परामर्श से नामांकित किया जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।

(2) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, नियुक्ति करेगा राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति जो अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल से कम रैंक का न हो न्यायाधीश को इस तरह का कार्य करने के लिए जिला न्यायपालिका के सचिव के रूप में जिला न्यायपालिका की सीट पर तैनात किया जाता है उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियां और कर्तव्य निभाना जो उसे सौंपे जाएं ऐसे अध्यक्ष।

(3) जिले के सदस्यों और सचिव के पद की शर्तें और उससे संबंधित अन्य शर्तें प्राधिकरण ऐसा होगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

(4) जिला प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपने कार्यों का कुशल निर्वहन।

(5) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन के हकदार होंगे और भत्ते और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।

(6) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसमें वेतन, भत्ते और शामिल हैं जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय पेंशन होगी राज्य की संचित निधि से भुगतान किया गया।

(7) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश एवं निर्णय सचिव अथवा किसी अन्य द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे जिला प्राधिकरण का अन्य अधिकारी जो उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो।

(8) जिला प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी जिला प्राधिकरण में किसी रिक्ति का अस्तित्व, या उसके गठन में कोई दोष।

जिला प्राधिकरण के कार्य

1 प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कार्यों का पालन करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं राज्य प्राधिकरण द्वारा समय.

2 उपधारा

(1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्:

(ए) तालुक कानूनी सेवा समिति और अन्य कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करें जिला

(बी) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और

(सी) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण कर सकता है

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

उक्त अनुक्रम में छतरपुर में भी जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई है सत्र 2023-24 में जिला विधिक सहायता प्राधिकार छतरपुर द्वारा लोक अदालत के माध्यम से २८०० मामला का निराकरण किया गया १०२८ विधिक सहायता शिविर लगाया गया ३१६ मामला में अभियुक्तो एवं जरूरी कार्य को विधि सहायता उपलब्धा कराई गई है तथा लोगो को विधिक सहायता उपलब्ध करने हेतु ०५ विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित की गई है जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा न्याय को जन जन तक पहुँचाने हेतु श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के विधि विभाग लीगल एड क्लीनिक को दिनांक 27/06/2023 को स्थापित किया है आर्थिक एवं अन्य निर्योग्य व्यक्ति जो अपने अधिकारों की जानकारी नही रखता को जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविर ग्रामीण अंचल तक लीगल एड क्लीनिक एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा आयोजित हो रहे है। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा टोल फ्री नं. 15100 एवं लीगल एड क्लीनिक द्वारा टोल फ्री नं. 6262618023 जारी किया है जिसके माध्यम से सैकड़ो लोग विधिक सेवा से लाभान्वित हो रहे है विवादो को सुलह के माध्यम से लोक अदालते निपटा रही है।

ऐसे अभियुक्त जिनके पास अपनी पैरवी हेतु वकील नही कर सकता उसे धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Section 341 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023) के अधीन राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदाय की जाती है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब है और अपनी संपत्ति के संबंध मे कोर्ट फीस के अदा नही कर सकते उन्हे व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 के अधीन आदेश 33 के अधीन अकिंचन वाद के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान मे व्यक्ति मे केवल जीवन का अधिकार समाहित नही वरन मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है जिसे न्यायपालिका द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। विधिक सहायता के अनवरत प्रयासो से न्यायपालिका के प्रति जनसामान्य की आस्था बढी है और न्याय पालिका के प्रति व्यक्ति का विश्वास अतुल्य है और जहाँ भी कही किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह उठता है तो वह यही कहता है :

"I WILL SEE YOU IN THE COURT"

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

चैक बाउंस प्रकरण

आज के समय मे अधिकांश लोग लेनदेन या व्यवसाय मे चैक का प्रयोग करते है और कुछ लोग अकाउंट मे उपलब्ध राशि से अधिक राशि का चैक जारी कर देते है और वह चैक अपर्याप्त राशि या किसी अन्य कारण से अनादरित कर दिया जाता है जिसे आम बोलचाल की भाषा मे चैक बाउंस कहते है जिसे परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 मे विस्तार से बताया गया है।

यदि किसी खाता धारक द्वारा कोई ऐसा चैक जारी किया जाता है जो अपर्याप्त राशि या अन्य कारण के द्वारा बैंकर द्वारा राशि आहरण नही किया जाता है और बैंकर द्वारा इस संबंध मे बाउंस या अनादरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है लेकिन चैक बैक के समक्ष चैक लिखे जाने के 6 माह के अंदर या विधिमान्य अवधि मे प्रस्तुत की जानी चाहिये। वह व्यक्ति जिसे चैक जारी किया गया था खाता धारक को 30 दिन की म्यादी सूचना एडवोकेट के माध्यम से देगा और यदि म्यादी सूचना प्राप्ति के 15 दिनो के अंदर राशि खाता धारक को प्रदाय नही की जाती तब चैक धारक न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत कर चैक मे उल्लिखित राशि खाता धारक से प्राप्त कर सकता है जो चैक अनादरण का अपराध कारित वह चैक की राशि के दो गुने जुर्माने या दो वर्ष के कारावास से या दोनो से दंडित किया जा सकता है। (धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

चैक के संबंध मे न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि चैक धारक द्वारा किसी ऋण या दायित्व से पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया गया। (धारा 139 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881) यह परिवाद किसी भी स्टेज पर राजीनामा योग्य होता है। (धारा 147 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881) इन प्रकरणों को न्यायालय 6 माह के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। (धारा 143(3) परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881) यह मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय होते है। (धारा 143(1) परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881) वर्ष 2018 मे हुए संशोधन के अनुसार आरोप विरचित किए जाने पर आरोपी

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

को न्यायालय परिवादी को अंतरिम प्रतिकर के रूप मे चैक की राशि का 20% संदत्त करने के लिए आदेशित करेगा। (धारा 143a परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

सूचना रिपोर्ट और बोलचाल की भाषा मे एफ आई आर एक सूचना है जिसे फरियादी या पीड़ित पक्षकार मौखिक या लिखित रूप मे आरक्षी केन्द्र या थाने मे किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का संबंध आरोपी का विरूद्ध प्रस्तुत करता है। जिसका संबंध मे विधिक प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 मे लेख किए गए है। आमजन मानुष मे यह समस्या सामान्य है कि पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट राजनीतिक दवाब या रिश्वत के कारण लेख नही की जाती जिसके निदान के लिए यह आर्टिकल विधिक सलाह के रूप मेरे द्वारा लेख किया जा रहा है।

यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार शारीरिक या सांपत्तिक हानि अन्य व्यक्ति को पहुंचाता है तो राज्य का दायित्व है वह उस पीडित को विधि के माध्यम से उपचार प्रदान करे। यदि पीडित व्यक्ति अपनी शिकायत संज्ञेय अपराध यानि गंभीर प्रकृति का अपराध के संबंध कोई सूचना थाना मे देता है तो थाना प्रभारी या उसके निर्देश अन्य पुलिस आफिसर रिपोर्ट लिखने को बाध्य है यहाँ तक उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार फोन के माध्यम से संज्ञेय अपराध के संबंध मे रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

यदि अपराध महिला संबंधी तब वह महिला पुलिस आफिसर के द्वारा लेख की जाएगी। यदि पुलिस आफिसर या थाना प्रभारी रिपोर्ट लेख नही करता है या इंकार करता है तब पीडित की अधिकार है कि वह जिले के पुलिस अधीक्षक सामान्य भाषा मे कहे तो एस पी महोदय के यहाँ शिकायत आवेदन कर सकता है। (धारा 154(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973) उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कार्यवाही नही करता तब आवेदनों की रिसीप्ट के आधार पर व संबंधित साक्ष्य के साथ न्यायालय मे परिवाद या न्यायालय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है (धारा 190(1) (a) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)। इस दौरान ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि मार पीट का मामला है तो घटना के तुरंत बाद अपना चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराना चाहिए।

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

शिकायत के परीक्षण पश्चात न्यायालय स्वयं मामले मे कार्यवाही कर सकता है (धारा 200 से 203 दंड प्रक्रिया संहिता 1973)या धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन संज्ञेय मामलो मे अन्वेषण के आदेश कर सकते है। इस प्रकार यदि आपकी रिपोर्ट थाने मे नही लिखी जा रही तब आप एस पी आफिस और न्यायालय की सहायता से अपराधी को दंड दिला सकते है। प्रकरण मे एडवोकेट (न्यायालय के अधिकारी) की सलाह भी लेना उचित होगी

महिलाएं एवं भारतीय विधि

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहां महिलाओ का सम्मान होता है वहां ईश्वर निवास करते है यह हमारी भारतीय संस्कृति है। रामचरितमानस में किष्किंधाकांड मे श्री राम ने बालि वध पर कहा था -

"अनुज वधु भग्नि सुत नारि।
सुनु सठ कन्या सम ए चारि।।
इन्हहि कुदृष्टि विलोकहु जोई।
ताहि वधै कछु पाप न होहि।।

संक्षेप कहा जाए यदि कोई महिलाओ को कुदृष्टि से देखे भी तो उसका वध करने पर कोई पाप नही लगता। महाभारत काल मे द्रौपदी के अपमान पर कुरूक्षेत्र मे कुरू वंश का संपूर्ण नाश हुआ। इतिहास के पन्ने उलटने पर यह स्पष्ट है कि नारी जाति का अपमान रावण, बालि, कंस, दुर्योधन की समूल मृत्यु का कारण बना। विश्व स्तर पर संयुक्तराष्ट्र संघ के द्वारा महिलाओ को पुरूषो के समकक्ष लाने के लिए मानव अधिकारो एवं विभिन्न एजेंसियो के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। भारतीय विधि मे संविधान मे, दंड विधि मे, व्यक्तिगत विधियो मे विशिष्ट रूप प्रावधान किए गए है यहां इस लेख के माध्यम से उन प्रावधानो का उल्लेख किया जा रहा है जो आज के परिप्रेक्ष्य मे महिलाओ को जानना नितांत आवश्यक है

(1) महिला एवं संविधान:- भारतीय संविधान मे मौलिक अधिकार मे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किए गए है जिनमे अनुच्छेद 15 एवं 16 मे महिलाओ को पुरूषो के समकक्ष लाने के लिए राज्य को विशिष्ट विधि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है नीति निदेशक तत्वो मे अनुच्छेद 39 मे समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 42 मे

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

प्रसूती सहायता प्रावधान बनाने राज्य को नीतिया बनाने संबंधी प्रावधान किए गए है इसके अलावा केन्द्र, राज्य एवं न्याय पालिका मे महिलाओ के विशिष्ट आरक्षण प्रदान किए गए है।

(2) महिला एवं दंड विधि:- दंड विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 मे महिला संबंधी अपराध अध्याय 20 धारा 493 से 498 तक (द्विविवाह, जारकर्म एवं अन्य अपराध) उल्लिखित है अध्याय 20(क) धारा 498 (क) पति एवं उसके नातेदार द्वारा महिलाओ के साथ की जाने वाली मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्रूरता के संबंध मे दंड प्रावधानो का उल्लेख है जिसका प्रयोग महिलाओ द्वारा पुलिस रिपोर्ट या सीधे न्यायालय मे परिवाद फाइल कर किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओ के साथ शारीरिक रूप से, इंटरनेट, फेसबुक या अन्य सोशल साइट के माध्यम से किए जाने वाले छेडछाड के मामलो को धारा 354A,354B,354C एवं 354D के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से न्यायालय मे दर्ज कराए जा सकते है। बलात्कार संबंधी अपराध धारा 376 के माध्यम से दर्ज किए जाते है अवयस्क पीडिता की दशा मे पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले मे दर्ज होते है जिनमे जमानत अभियुक्त प्राप्त होना बिरलतम से बिरलतम दशा मे प्राप्त होती है। धारा 304 ख विवाह के सात सालो के भीतर होने वाली वधु की मृत्यु के संबंधी अपराध एवं दंड के बारे प्रावधान करती है। भ्रूण हत्या संबंधी अपराध धारा 312 से 318 तक प्रावधानित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 पत्नि व माता को भरण पोषण के अधिकार का प्रावधान, तथा धारा 154 महिलाओ की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी पूर्ण शिष्टता के साथ लेख करने का प्रावधान करती है इसके अलावा महिलाओ संबंधी अपराधो का विचारण जहां तक संभव महिला जज के माध्यम से सुने जाने का प्रावधान भी करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 113(ख) एवं 114(क) न्यायालय को महिला संबंधी अपराधो मे विशिष्ट उपधारणा करने को निर्देशित करती है।

(3) महिला एवं व्यक्तिगत विधि:- व्यक्तिगत विधियो मे महिलाओ को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है जैसे हिंदु विवाह अधिनियम 1956 मे धारा 9 न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारो की पुनर्स्थापना, धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद, भरण पोषण, एवं द्विविवाह आदि। हाल ही मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शायरा बानो के मामले तीन तलाक की

वर्ष-1, अंक-3, अप्रैल - जून 2024 E-ISSN : 2584-2900

कुप्रथा को शून्य घोषित किया गया है। यदि महिलाओ के विरूद्ध पूरे देश मे दर्द अपराधो पर एक नजर दौड़ाई जाए तो आंकडे डराने वाले ही हैं।

(क) वर्ष 2015 मे महिलाओ के विरूद्ध मामले 3,27,394

(ख) वर्ष 2017 मे 3,59,849

(ग) वर्ष 2018 में 3,78,236

(घ) वर्ष 2019 मे 4,05,861

वर्ष 2019 के इन मामलो को वर्गीकृत किया जाए तो

बलात्कार मामले 32,033

बलात्कार के प्रयत्न मामले 4038

यौन उत्पीड़न एवं लज्जा भंग मामले 88,387

स्त्री लज्जा अनादर मामले 6939

पाक्सो एक्ट 46,056

साइबर क्राइम 1645 दर्ज हुए है।

हाल ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओ के विरूद्ध होने वाले अपराध को गंभीरतापूर्वक लेते हुए दिनांक 18 मार्च 2021 को अपर्णा भाट और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं एक अन्य AIR 2021 SC 1492 के मामले मे निर्णीत किया है कि "विधि ऐसी शर्तो पर जमानत प्रदान करने की अनुमति नही देता जिससे उचित विचारण की प्रक्रिया प्रभावित हो। अभियुक्त, पीड़िता से राखी बंधवाए, पीड़िता से शादी करे, कोविड योद्धा के रूप मे पंजीकृत हो, सुलह करे आदि शर्तो पर जमानत प्रदान किया जाना न्यायालय को किसी दांडिक अपराध मे विरोधी के बीच मे न्याय के पुनः वार्ता और सुलह के प्रति और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के प्रति संदेहास्पद बना देता है। स्टीरियो टाइपिंग महिला के एक उचित विचारण को प्रभावित करता है।"

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधि और विधानो ने मातृशक्ति को सुरक्षित कर रखा है लेकिन आवश्यकता है हमारे समाज की मनोदशा के परिवर्तन की जो नारी और पुरूष की समकक्षता को स्वीकार करे।

।।हे मातृशक्ति बारंबार नमन है आपको।।